"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 जुलाई 2018 — श्रावण 1, शक 1940

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक 1499/आर 265 व्ही. आई. पी./22-1/2017. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	प्रोग्रामर	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39000	5400	-"

2. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	प्रोग्रामर	01	-	100%	-	-"

3. अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6.	सहायक प्रोग्रामर	03 वर्ष	प्रोग्रामर	-तदैव-	-"

No. 1499/R. No. 265 VIP/22-1/2017.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-I, after serial number 7 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	Programmer	01	Class-II	15600 - 39000	5400	-"

2. In Schedule-II, after serial number 7 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	Programmer	01	-	100%	-	-".

3. In Schedule-IV, after serial number 5 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6.	Assistant Programmer	03 years	Programmer	-do-	-"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.